

उत्तर प्रदेश सरकार  
वित्त विभाग  
वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ

संख्या वि०वे०नि० (प्रकोष्ठ)-251/दस-2014-11-2013  
लखनऊ, दिनांक 7 नवम्बर, 2014

दिनांक 7 नवम्बर, 2014 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5-प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9-विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), मा० मुख्यमंत्री जी।
- 10-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11-वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
अजय अग्रवाल,  
सचिव।

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
510/217, नया हैदराबाद, लखनऊ।

संख्या-आ०ले०प०-1475/4099/अधि०/सेवानियमावली/2014, दिनांक 7 नवम्बर, 2014  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

( शिव नारायण राव )  
निदेशक।

संयन्त्र/संयन्त्रि (R)

05/11/2014  
सुरेश कुमार सिंह  
आइ०ए०एस०  
महानिदेशक।

संयन्त्र (R) / AAO  
संयन्त्र

संयन्त्र  
शिव नारायण राव  
शिव नारायण राव  
उत्तर प्रदेश लखनऊ

शिव नारायण राव  
05/11/2014  
AD



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 नवम्बर, 2014  
कार्तिक 16, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
वित्त विभाग  
(नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ)

संख्या 251/दस-2014-11-2013  
लखनऊ, 7 नवम्बर, 2014

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

सा०पी०नि०-74

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर सगस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिकमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग  
(अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014

भाग-एक-सामान्य

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2014 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-यह नियमावली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, महाधिवक्ता कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य विधान मण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी विभाग में संयुक्त अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर लागू होगी। नियमावली का लागू होना

अध्यारोही प्रभाव

3-यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

सेवा की प्रारिथति

4- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

5-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक से है;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय ;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ङ) "संविधान का तात्पर्य" भारत का संविधान से है;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा से है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथा समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ड) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

#### भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6-(1) सरकारी विभागों में निदेशक, जो उक्त संवर्ग का नियंत्रक प्राधिकारी होगा, के नियंत्रण के अधीन अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा का एक संयुक्त संवर्ग होगा।

(2) अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा के संयुक्त संवर्ग में सहायक लेखाकार और लेखाकार के पद सम्मिलित होंगे।

(3) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(4) सरकारी विभागों में सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों की सदस्य संख्या इस नियमावली के प्रारम्भ के समय, जब तक कि उप नियम (3) के अधीन उसमें परिवर्तन के कोई अन्य आदेश न पारित किये जाय, 7602 होगी। निदेशक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1853/दस-54(एम)-2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के अनुसार सहायक लेखाकार एवं लेखाकार के पदों की संख्या पुनः अवधारित कर सकते हैं एवं विभिन्न सरकारी विभागों की आवश्यकता के दृष्टिगत यथास्थिति सहायक लेखाकार और/अथवा लेखाकार के पदों को आवंटित कर सकते हैं। ऐसा आवंटन वर्ष दर वर्ष आधार पर निदेशक द्वारा पुनरीक्षित किया जायेगा और यदि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो शासन के अनुमोदन से परिवर्तन किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

#### भाग-तीन-भर्ती

7— सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न स्रोतों से की जायेगी :-

भर्ती का स्रोत

(1) सहायक लेखाकार-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) लेखाकार-विभागीय चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से, नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

8— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

आरक्षण

#### भाग-चार-अर्हताएं

9— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी,—

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु अग्रेतर यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से, पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

**टिप्पणी :-** ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

10— सेवा में सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-

शैक्षिक अर्हतायें

(एक) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कामर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एकाउन्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल डिप्लोमा।